

लेखक लोकतंत्र के विकास के लिए योगदान के लिए

'क/क&fun:'kd

Mk- dYiuk o';

सह प्राध्यापक

राजनीति विज्ञान

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

'क/कFk

txnh'k i:kn vfgjokj

सहा. प्राध्यापक राजनीति विज्ञान

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर (म.प्र.)

लेखक

लोकतांत्रिक मूल्यों के एक महान प्रणेता, समाजवादी-मानवतावादी और गांधीवादी विचारों से ओतप्रोत, राम मनोहर लोहिया उच्च शिक्षित और बुद्धिजीवी थे, उन्होंने लोकतंत्र को तानाशाही का प्रतिकारक माना। सामाजिक, राजनीतिक-प्रशासनिक और आर्थिक आधार पर अत्यधिक केंद्रीकरण लोकतंत्र को नुकसान पहुँचाता है, जो लाखों भारतीयों के लिए एकमात्र आशा थी और है। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र के संचालन के संबंध में डॉ. राम मनोहर लोहिया की शंकाओं को समझने का प्रयास किया गया है। "वैकल्पिक मॉडल" के लिए उनका सुझाव 21वीं सदी में अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, जहाँ विश्व विचारधाराएँ, साम्यवाद पहले ही ध्वस्त हो चुके हैं और बाजार अर्थव्यवस्था और आर्थिक वैश्वीकरण पर आधारित विश्व व्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है।

शब्द: 'कन& लोहिया, लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद, चौखम्भा मॉडल, अर्थव्यवस्था आदि।

लेखक का

भारतीय समाजशास्त्रियों के श्रृंखला में, राम मनोहर लोहिया एक असामान्य, अपरंपरागत और संभवतः चतुर सिद्धांतकार के रूप में उभर सकते हैं, उनका झुकाव 'नए समाजवाद' की ओर था। उन्हें "सैद्धांतिक समाजवादी" कहा जाता है।¹ मूलतः डॉ. लोहिया इतने भावुक थे कि उन्होंने समाजवाद के सिद्धांत को यूरोपीय मार्क्सवाद और अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद की हठधर्मिता के बंधन से मुक्त कर दिया। तदनुसार, लोहिया समाजवाद को भारत जैसे नए उभरते विकासशील देशों के आदर्श और लक्ष्य के अनुकूल बनाकर उसका स्थानीयकरण करने में रुचि रखते थे। उन्होंने इस प्रयास में, पूंजीवाद के विरोधी होने के बावजूद, उन्होंने इसके कुछ सिद्धांतों, जैसे स्वतंत्रता और असहमति, को प्रमुख सिद्धांतों के रूप में आत्मसात किया, जिससे यूरोप में मजदूर वर्ग की स्थिति में काफी सुधार हुआ और मध्यम वर्ग में उनका रूपांतरण हुआ।²

किसी व्यक्ति की विचार प्रक्रिया उस समय, स्थान और परिस्थितियों से प्रभावित और आकार लेती है जिसमें वह रहता है। लोहिया एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात भारत के एक नेता थे, उन्होंने भारत के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया उनके द्वारा नेतृत्व किए गए या उनमें भाग लिए गए आंदोलनों से प्राप्त अनुभवों के



साथ मेल खाती थी। चिंतन के लिए, सत्य, अहिंसा, स्वदेशी और निष्क्रिय प्रतिरोध के गांधीवादी आदर्शों के निरंतर संपर्क में रहते हुए, उन्होंने मुक्तिवादी समाजवाद के बारे में सोचा और उसे एक नई दिशा दी।

पूँजीवाद और मार्क्सवाद से अलग हटकर उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढालने के साथ-साथ भारत में व्याप्त विशाल सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक-सांस्कृतिक विखंडनों को दूर करने के लिए सत्ता के हस्तांतरण के अपने मंत्रों का भी लोहिया जी बखूबी इस्तेमाल किया। इसके अलावा, उनकी विश्लेषणात्मक कुशाग्रता, जो उनके कठोर शैक्षणिक प्रशिक्षण का परिणाम थी, उन्हें दुनिया भर में प्रचलित सैद्धांतिक अवधारणाओं को समझने और भारत में व्याप्त उथल-पुथल को दूर करने के लिए उन्हें समायोजित करने में सक्षम बनाती है।

'क/क फो/क & प्रस्तुत शोध आलेख में मुख्य रूप से विवेचनात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। इस शोध पत्र में द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। अतीत के विस्मृत होते अध्यायों का पुनर्अध्ययन होने के कारण विषयवस्तु का समय सापेक्ष विवेचन विवरणात्मक शैली में किया गया है।

डॉ. लोहिया के लिए लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं थी। इसके कार्यात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, वे लोकतंत्र के उस सारभूत अर्थ को समझना चाहते थे जहाँ लोग स्वयं अपने भाग्य के स्वामी होते हैं, सभी शक्तियों के भंडार होते हैं। केवल एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और समान वातावरण में ही एक व्यक्ति सर्वांगीण विकास प्राप्त कर सकता है। उनके लिए लोकतंत्र एक प्रभावशाली समकारी शक्ति थी, जो विकेंद्रीकृत सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की मानक थी। वह सरकार और उद्योग में एकीकरण की प्रवृत्ति से असहज थे, जो अत्यधिक दरिद्रता और असंतुलित प्रगति लाती है। उनके शब्दों में, "वर्तमान युग में लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण विकेंद्रीकरण है और इसका अर्थ प्रत्यक्ष लोकतंत्र की छोटी इकाइयों से संबंधित परिभाषित राजनीतिक शक्ति और आर्थिक व्यवस्थाओं और प्रौद्योगिकी, दोनों के संदर्भ में तय किया जाना चाहिए जो कामकाजी लोगों को उत्पादक प्रक्रिया पर नियंत्रण की बेहतर समझ प्रदान करें।"⁴

लोहिया जी लोकतंत्र के कट्टर समर्थक थे, जो संवाद और चर्चा द्वारा जनता को सशक्त बनाता है, फिर भी वे पश्चिमी उदार लोकतंत्र के "अभिजात्य" चरित्र के कारण उसके विरोधी थे।⁵ पश्चिम में लोकतंत्र व्यक्तिवाद के सिद्धांत पर आधारित रहा है, यह पूँजीवाद, बड़े पैमाने पर उत्पादन और लाभ के निर्बाध विकास का दावा करता है। इस प्रकार सत्ता को अमीरों के हाथों में केंद्रित कर दिया जाता है, जिससे बहुसंख्यक उपेक्षित और राजनीतिक रूप से वंचित रह जाते हैं और साथ ही आर्थिक रूप से भी। उपेक्षित बहुसंख्यक अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता खो देते हैं और कॉर्पोरेट जगत की दुर्जेय शक्ति के सामने एक मशीन का एक "दांत" मात्र बन जाते हैं।

स्वतंत्रता के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, भारत ने उदार पूँजीवादी लोकाचार पर आधारित लोकतंत्र के पश्चिमी मंत्रिस्तरीय मॉडल को अपनाया। लोहिया के अनुसार, यह मॉडल पश्चिम के समृद्ध, संपन्न, सुशिक्षित और सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए सबसे उपयुक्त था पर भारत जैसे समाज में जहाँ व्यापक गरीबी, असंतुलित विकास, निरक्षरता और जातिगत विभाजन था, वहाँ लोकतंत्र का जनता के लिए कोई खास मतलब नहीं था। बड़े पैमाने पर असमानता का बने रहना आम जनता के लिए भोजन, आश्रय, शिक्षा आदि जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में एक बाधा रहा है। इसी प्रकार, व्यापक निरक्षरता का प्रचलन मनुष्य को अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसके तर्क का उपयोग करने से रोकता है। ऐसी स्थिति में, आम जनता चुनाव के समय राजनीतिक दलों के "गरीबी हटाओ" और "अच्छे दिन आने वाले हैं" जैसे लोकप्रिय, लोकलुभावन और क्षणिक प्रचार से प्रभावित होने की अधिक संभावना रखती है, बजाय इसके कि वह अपने भले के बारे में विवेकपूर्ण ढंग से सोचे। नीति-निर्माण प्रक्रिया धनी व्यापारिक घरानों के प्रभाव में रही है, जिसकी कीमत समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों को



नजरअंदाज करके चुकाई गई है। इसके अलावा, प्रतिनिधि लोकतंत्र पर चुनावों को वित्तपोषित करने वाले कॉर्पोरेट घरानों का एकाधिकार हो गया है। परिणामस्वरूप, चुनाव जीतने के बाद, उम्मीदवार व्यापक समूहों की ओर से बोलने के बजाय, विधानसभाओं और विचार-विमर्श निकायों में अपनी पार्टियों और बड़े व्यापारिक घरानों के प्रवक्ता बन जाते हैं। जाति, पंथ, नस्ल और धर्म की इतनी सारी दरारों से भरे समाज में, जहाँ व्यक्ति का वंश उसकी पहचान और भविष्य की कार्य-प्रणाली की सीमाएँ तय करता है।

लोहिया का दृढ़ विश्वास था कि लोकतंत्र का अर्थ केवल अंधदृष्टि वाले धनी उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही है। बहुसंख्यक गरीबों के लिए, न तो समानता थी और न ही निष्पक्ष व्यवहार। इसलिए, लोहिया को पश्चिमी लोकतंत्र के स्वरूप के बारे में एक आपत्ति थी, जो उनके अनुसार 'अमीरों का लोकतंत्र' था।⁶ चूँकि लोकतंत्र अति-केंद्रीकरण की प्रवृत्ति से भरा हुआ था, और यह अमीरों और अभिजात वर्ग की सरकार थी, लोहिया स्वतंत्र भारत में इसके कामकाज को लेकर संशय में थे। हालाँकि, यह एकमात्र ऐसी व्यवस्था थी, जो भारत में व्याप्त विविध सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक कठोरताओं का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम थी।

वास्तव में, लोहिया लोकतंत्र की "चिंतनशील और समायोज्य" विशेषताओं के कारण, एक शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र की अत्यधिक सराहना करते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो, लोकतंत्र का "पश्चिमी मंत्रिस्तरीय मॉडल" कोई "जूता नहीं था जो हर आकार में फिट हो", इसे तीसरी दुनिया में व्याप्त विशिष्ट और जटिल सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए, विशेष रूप से भारत में, लोहिया ने लोकतंत्र की मरम्मत और पुनर्गठन की वकालत की।

लोहिया के अनुसार लोकतंत्र को इस तरह से अनुकूलनीय होना चाहिए कि वह न केवल लोगों के कुछ नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का रक्षक हो, बल्कि ऐसे सामाजिक-आर्थिक परिवेश का अग्रदूत भी हो जहाँ कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित न रहे। वास्तव में, लोहिया लोकतंत्र के ऐसे ढाँचे की आकांक्षा रखते थे जो अपने अभिजात्य चरित्र को त्याग दे और समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए काम करें।

सरकार की संरचना है में कल्याणकारी एवं लोकतंत्रीय लोहिया की प्रशंसनीय विशेषताएँ राज्य के स्तंभों का उनका मॉडल आदर्श प्रतीत होता है। लोहिया ने विकेंद्रीकरण के अपने मॉडल को "चौखंबा मॉडल" (चार खंभा—चार स्तंभ राज्य) कहा, जिसमें सत्ता गाँवों, जिलों, प्रांतों और केंद्र में वितरित होगी। प्रत्येक स्तंभ का समान सम्मान और अधिकार होगा। लोहिया चाहते थे कि ये स्तंभ एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठाएँ और सामंजस्य से कार्य करें, कोई भी दूसरे से आगे न बढ़े। तभी गाँवों में छोटे-छोटे समूहों में रहने वाले आम पुरुष और महिलाएँ लोकतंत्र का फल चख सकेंगे। केवल वही कार्य केंद्र में होने चाहिए जो राष्ट्रीय महत्व के हों, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हों।

लोहिया ने देश के लिए एक विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक मॉडल की सिफारिश की। एक ऐसा मॉडल जिसमें आम नागरिक हमेशा सरकार की अन्यायपूर्ण और असंवेदनशील नीतियों के खिलाफ संघर्षरत रहेंगे। एक सच्चे गांधीवादी के रूप में, उन्होंने "स्थायी सविनय अवज्ञा" की वकालत की, जो किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ एक स्थायी उपाय के रूप में कार्य करेगा। इस प्रकार, गाँव, मंडल (जिला), प्रांत और केंद्र को चार स्तंभ मानते हुए विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली के पक्ष में, लोहिया ने अपरंपरागत रूप से गाँव और मंडल जैसे निचले स्तरों को पुलिस और कल्याणकारी कार्यों के साथ जोड़ने का प्रयास किया।⁷ हालाँकि, बाद में, विश्व सरकार के विचार के प्रति अपने समर्थन को दोहराते हुए, उन्होंने "पाँचवें स्तंभ" के निर्माण का भी तर्क दिया, जो विश्व सरकार के रूप में होगा।⁸



विभाजन और धार्मिक आधार पर अचानक भड़की हिंसा के साक्षी होने के नाते, लोहिया ने स्वतंत्र भारत में धर्म और राजनीति के मुद्दे को विवेकपूर्ण तरीके से संबोधित करने का तर्क दिया। इन दोनों का कोई भी जल्दबाजी और लापरवाही भरा विलय अनिवार्य रूप से विभिन्न समूहों के बीच धार्मिक कट्टरता को जन्म देता है, जिससे राष्ट्र की नींव ही खतरे में पड़ जाती है। इसलिए, लोहिया उन्होंने एक ठोस राजनीतिक संरचना के निर्माण के लिए धर्म और राजनीति के विचारों को सही स्थान पर रखने के पक्षधर रहे।

इस प्रकार तरह लोहिया की विचार प्रक्रिया सर्वव्यापी थी, जो देश में राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं की समस्याओं की एक विस्तृत शृंखला को कवर करती थी। लोहिया वेस्टमिंस्टर मॉडल के आलोचक थे क्योंकि यह अभिजात्य प्रकृति का था। हालाँकि, वे इसके विचार-विमर्शात्मक गुण के प्रबल समर्थक थे क्योंकि यह संवाद और चर्चा का अवसर प्रदान करता है। एक वास्तविक लोकतंत्र वह हो सकता है जो सहभागी हो, प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष और समान अवसर प्रदान करे। एक सक्रिय, जागरूक और प्रबुद्ध नागरिकता एक सच्चे लोकतंत्र का भंडार है।

डॉ. लोहिया के अनुसार, लोकतंत्र को सभी के लिए व्यवहार्य बनाने के लिए, इसे भारत की अभूतपूर्व सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अनुकूल बनाने की आवश्यकता थी। राजनीतिक स्वतंत्रता को आर्थिक स्वतंत्रता के साथ जोड़ने की तत्काल आवश्यकता थी ताकि स्वतंत्रता को सभी को पोषण प्रदान करने की आवश्यकता के साथ समाहित किया जा सके। लोहिया के लिए स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं और सामाजिक लोकतंत्र के ढांचे के भीतर साकार की जा सकती हैं।

यहीं पर लोहिया पर गांधीवादी छाप देखी जा सकती है। उन्होंने गांधीवाद और समाजवाद के सिद्धांत पर आधारित लोकतंत्र के अपने मॉडल को समाहित करने का प्रयास किया, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ राजनीतिक शक्ति का प्रसार हो और अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण हो। गांधी का अनुसरण करते हुए, लोहिया के समाजवादी चिंतन में एक सच्चा अहिंसक और स्वतंत्र समाज तभी साकार हो सकता है जब लोगों पर कम से कम शासन हो, जहाँ राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। जहाँ केंद्रीकरण अधीनता की ओर ले जाता है, वहीं विकेंद्रीकरण व्यक्तिगत क्षमता के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।

अन्य सभी कार्यों को समानता और पारस्परिक सम्मान की भावना का पालन करते हुए अन्य तीन स्तंभों-प्रांतों, जिलों और गांवों-के बीच विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए। लोहिया का चार स्तंभ वाला राज्य केवल कार्यकारी और विधायी व्यवस्था नहीं था, जहाँ केंद्रीय अंग नीतियाँ बनाते और कानून बनाते हैं जबकि जिला और ग्राम निकायों को केवल कार्यान्वयन के लिए छोड़ दिया जाता है। यह एक जीवन शैली थी, जिसकी संरचना इस प्रकार की गई थी कि समग्र समुदाय को मानवीय गतिविधि के हर क्षेत्र में भागीदार बनने का अवसर मिलता था, उदाहरण के लिए, उत्पादन, स्वामित्व, विधान, प्रशासन, योजना, शिक्षा आदि। लोहिया के राज्य के स्वरूप में संप्रभु शक्ति इतनी विसरित और विकेंद्रीकृत थी कि आम लोग अपने भाग्य के स्वामी, शासित होने के बजाय शासक बन गए।

संशयवादियों के भय को दूर करने और चार स्तंभों वाले राज्य के अपने मॉडल को साकार करने के लिए, लोहिया जी ने एक खाका प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में केवल उन्हीं विषयों को रखा जा सकता है जो राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने की आवश्यकता हो, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, भारी उद्योग, नागरिक उड्डयन आदि। अन्य सभी विषय जो प्रांतीय प्रकृति के हैं और जिनके स्थानीय परिणाम हैं, विशेष रूप से कानून और व्यवस्था का प्रशासन, जिलों और गांवों के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। लोहिया की राज्य संरचना में, जिलों और गाँवों को अत्यधिक महत्व दिया गया था। भविष्य के लघु इकाई कपड़ा उद्योग का स्वामित्व और प्रबंधन करके और उपयोग की गई पूँजी और श्रम के अनुपात के संदर्भ में कृषि के प्रबंधन और व्यवस्था का निर्धारण करके, जिले और गाँव शासन की एक महत्वपूर्ण



इकाई बन जाते हैं। लोहिया का मानना था कि गुटबाजी और क्षेत्रवाद के बढ़ते मुद्दों का समाधान केवल निर्णय लेने में सामाजिक सामूहिकता को शामिल करके ही किया जा सकता है।

हालाँकि, ऐसे राज्य की अवधारणा एक आत्मनिर्भर गाँव की कार्बन कॉपी नहीं, बल्कि 'बुद्धिमान और जीवंत गाँव' की थी। राज्य के ऐसे ढाँचे के तहत, समाज का प्रत्येक वर्ग विवेकपूर्ण ढंग से जीवन यापन करेगा और सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए प्रयास करेगा। लोहिया सकारात्मक उदारवादियों के साथ इस बात पर सहमत थे कि लोकतंत्र आर्थिक स्वतंत्रता के साथ ही सार्थक होता है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण को भारत की विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। एक ऐसे देश में जहाँ बहुसंख्यक गरीब और वंचित थे, राजनीतिक लोकतंत्र जनता के लिए तभी उपयुक्त हो सकता था जब वे अपनी जीविका से मुक्त हो जाएँ। इसलिए, उन्होंने प्रचुर उत्पादन और प्रभावी वितरण पर जोर दिया।

एक ठोस राजनीतिक संरचना के निर्माण के लिए धर्म और राजनीति के विचारों को सही स्थान पर रखने की डॉ. लोहिया ने पक्षधरता रखी। इस प्रकार, लोहिया की विचार प्रक्रिया सर्वव्यापी थी, जो देश में राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं की समस्याओं की एक विस्तृत शृंखला को कवर करती थी। लोहिया वेस्टमिंस्टर मॉडल के आलोचक थे क्योंकि यह अभिजात्य प्रकृति का था। हालाँकि, वे इसके विचार-विमर्शात्मक गुण के प्रबल समर्थक थे क्योंकि यह संवाद और चर्चा का अवसर प्रदान करता है। एक वास्तविक लोकतंत्र वह हो सकता है जो सहभागी हो, प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष और समान अवसर प्रदान करे। एक सक्रिय, जागरूक और प्रबुद्ध नागरिकता एक सच्चे लोकतंत्र का भंडार है।

डॉ. लोहिया के अनुसार, लोकतंत्र को सभी के लिए व्यवहार्य बनाने के लिए, इसे भारत की अभूतपूर्व सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अनुकूल बनाने की आवश्यकता थी। राजनीतिक स्वतंत्रता को आर्थिक स्वतंत्रता के साथ जोड़ने की तत्काल आवश्यकता थी ताकि स्वतंत्रता को सभी को पोषण प्रदान करने की आवश्यकता के साथ समाहित किया जा सके। लोहिया के लिए स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं और सामाजिक लोकतंत्र के ढाँचे के भीतर साकार की जा सकती हैं।

यहीं पर लोहिया पर गांधीवादी छाप देखी जा सकती है। उन्होंने गांधीवाद और समाजवाद के सिद्धांत पर आधारित लोकतंत्र के अपने मॉडल को समाहित करने का प्रयास किया, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ राजनीतिक शक्ति का प्रसार हो और अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण हो। गांधी का अनुसरण करते हुए, लोहिया का मानना था कि "एक सच्चा अहिंसक और स्वतंत्र समाज तभी साकार हो सकता है जब लोगों पर कम से कम शासन हो, जहाँ राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। जहाँ केंद्रीकरण अधीनता की ओर ले जाता है, वहीं विकेंद्रीकरण व्यक्तिगत क्षमता के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।"

अन्य सभी कार्यों को समानता और पारस्परिक सम्मान की भावना का पालन करते हुए अन्य तीन स्तंभों-प्रांतों, जिलों और गांवों-के बीच विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए। लोहिया का चार स्तंभ वाला राज्य केवल कार्यकारी और विधायी व्यवस्था नहीं था, जहाँ केंद्रीय अंग नीतियाँ बनाते और कानून बनाते हैं जबकि जिला और ग्राम निकायों को केवल कार्यान्वयन के लिए छोड़ दिया जाता है। यह एक जीवन शैली थी, जिसकी संरचना इस प्रकार की गई थी कि समग्र समुदाय को मानवीय गतिविधि के हर क्षेत्र में भागीदार बनने का अवसर मिलता था, लोहिया के राज्य के स्वरूप में संप्रभु शक्ति इतनी विसरित और विकेंद्रीकृत थी कि आम लोग अपने भाग्य के स्वामी, शासित होने के बजाय शासक बन गए।

संशयवादियों के भय को दूर करने और चार स्तंभों वाले राज्य के अपने मॉडल को साकार करने के लिए, उन्होंने इसके लिए एक खाका प्रस्तुत किया। लोहिया के अनुसार, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में केवल उन्हीं विषयों को रखा जा सकता है जो राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने की आवश्यकता हो, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, भारी उद्योग, नागरिक उड्डयन आदि। अन्य सभी विषय जो प्रांतीय प्रकृति के हैं और जिनके स्थानीय परिणाम हैं, विशेष रूप से कानून



और व्यवस्था का प्रशासन, जिलों और गांवों के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। लोहिया के राज्य ढाँचे में जिलों और गाँवों को अत्यधिक महत्व दिया गया था। भविष्य के लघु इकाई कपड़ा उद्योग का स्वामित्व और प्रबंधन करके और पूँजी और श्रम के अनुपात के संदर्भ में कृषि के प्रबंधन और व्यवस्था का निर्धारण करके, जिले और गाँव शासन की एक महत्वपूर्ण इकाई बन गए। लोहिया का मानना था कि गुटबाजी और क्षेत्रवाद के बढ़ते मुद्दों का समाधान केवल निर्णय लेने में सामाजिक सामूहिकता को शामिल करके ही किया जा सकता है।

हालाँकि, ऐसे राज्य की धारणा एक आत्मनिर्भर गाँव की कार्बन कॉपी नहीं, बल्कि “बुद्धिमान और जीवंत गाँव” की थी। राज्य के ऐसे ढाँचे के तहत, समाज का प्रत्येक वर्ग... एक सच्चे गाँधीवादी की तरह, लोहिया ने स्थानीय उत्पादन, छोटी मशीन तकनीक के उपयोग और अधिकतम हाथों को उपयोगी काम प्रदान करने की वकालत की। जनता को पूँजी के बंधन से मुक्त करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और अपनी बुनियादी ज़रूरतों का स्वामी बनाने की आवश्यकता थी। यह छोटी इकाई मशीनों का उपयोग करके प्रभावशाली उत्पादन और वितरण से संभव था। सस्ती और वहनीय होने के कारण, ऐसी मशीनें सभी स्तरों पर उपलब्ध होंगी, चाहे वह गाँव हों, शहर हों या कस्बे। फिर भी, लोहिया भारी मशीनों के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं थे, लेकिन ऐसी मशीनों का इस्तेमाल केवल इस्पात संयंत्रों या नदी-प्रशिक्षण परियोजनाओं में ही किया जाना चाहिए। एक तरह से, वे आर्थिक नियोजन को उल्टे क्रम में, यानी नीचे से ऊपर की ओर, चाहते थे।

लोहिया किसी भी प्रकार के केंद्रीकृत या एकात्म राज्य के विरोधी थे, चाहे वह पूँजीवादी हो या साम्यवादी। उनका दृढ़ विश्वास था कि स्वतंत्रता केवल एक अहिंसक समाज में ही संभव है जो सभी प्रकार के प्रभुत्व और आधिपत्य से मुक्त हो। किसी भी प्रकार का विभाजन, चाहे वह आर्थिक हो या सामाजिक, विशेषाधिकारों को जन्म देता है और आम जनता के समग्र विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है। लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुँचाने से बहुसंख्यकों को राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार बनने में मदद मिलती है। लोहिया का सही मत था कि लोकतंत्र को समाज के धनी और लाभप्राप्त वर्ग के एकाधिकार से बचाने के लिए, सत्ता को उतने ही टुकड़ों में विभाजित किया जाना चाहिए जितने गाँव हैं और ग्राम समुदाय को सौंप दिया जाना चाहिए। लोहिया के लिए भारतीय जीवन में बदलाव लाने का यही एकमात्र उपलब्ध उपाय था।

Link List

- [1]. अप्पादोराय, भारत में राजनीतिक विचार (400 ई.पू.-1980), खामा पब्लिशर्स, दिल्ली, 2002, पृ. 311.
- [2]. राम मनोहर लोहिया, मार्क्स, गांधी और समाजवाद, नवहंद, हैदराबाद, 1963, पृ. 6.
- [3]. समाजवादी विचारधारा के संक्षिप्त विवरण के लिए, देखें, सुब्रत मुखर्जी और सुशीला रामावसामी, समाजवादी विचार का इतिहास, सेज, नई दिल्ली, 2000
- [4]. राम मनोहर लोहिया, विदेश नीति, द्वादश श्रू प्राइवेट लिमिटेड, अलीगढ़, 1963, पृष्ठ-479
- [5]. राम मनोहर लोहिया, समाजवाद के सैद्धांतिक आधार, टुलोच, बॉम्बे, 1952
- [6]. वी.आर. मेहता, भारतीय राजनीतिक विचार की नींव एक व्याख्या, मनोहर प्रकाशन, दिल्ली, 1999, पृष्ठ 249
- [7]. राम मनोहर लोहिया, सत्ता की इच्छा और अन्य लेखन, नवहंद, हैदराबाद, 1956, पृष्ठ 132।
- [8]. वी.पी. वर्मा, आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 1964, पृष्ठ 552।

